

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 106/2021 (रामकिशन बनाम रूकमणी देवी वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.11.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बिसाऊ को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार बिसाऊ के आदेश क्रमांक भू0अ0/2024/264 दिनांक 17.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2024 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम लुट्टू की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 478, 479 कुल किता 2 कुल रकबा 3.88 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	रामकिशन पुत्र प्रभूराम जाति जाट सा. ग्राम काकड़ोली हट्टी तहसील बाड़डा जिला चरखी दादरी हरियाणा	479/1	1.90	बा.2	-
		479/2	0.04	गै0मु0 रास्ता	-
		किता-2	1.94	-	-
2	विद्याधर पुत्र मघाराम जाति जाट सा.	478	1.94	बा.1	-

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.10.2024 को जारी की गई।



५०१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर